

Regarding atrocities by Police in Alwar district

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका विषय राज्य सरकार से संबंधित है। आप संक्षिप्त में अपना विषय रखिए।

श्री अमरा राम (सीकर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार ?बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? का नारा दे रही है। अभी 02 मार्च, 2025 को अलवर जिले के नौगांव क्षेत्र के रघुनाथगढ़-तेलियाबास गांव में इमरान के घर में पुलिस सुबह छः बजे प्रवेश करती है। जबकि आज तक उसके परिवार के किसी सदस्य पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। पुलिस उसके घर का दरवाजा फांदकर अंदर घुसती है। उसकी पत्नी घर का दरवाजा खोलती है।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, यह राज्य का विषय है। इसको राज्य में रखिए।

श्री अमरा राम : महोदया, राज्य का विषय तो है, लेकिन वहां केन्द्र की पार्टी की सरकार है। सरकार ?बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? की बात करती है, लेकिन इस तरह से एक सवा साल की नवजात बच्ची को पैरों से कुचल दिया जाता है।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप यह विषय विधान सभा में उठावाइए। यह विधान सभा का विषय है।

श्री अमरा राम : महोदया, वही पुलिस उस घटना की जांच करती है, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती है। आप तो चेयर पर बैठी हैं। महिलाओं और जो एक या सवा साल की नवजात बच्ची है, बेड पर चढ़कर और पैरों से कुचल कर उसकी जान ले ली गई है। इस घटना की किसी अन्य पुलिस या सीबीआई से जांच कराई जाए। उसका परिवार बहुत ज्यादा तकलीफ में है। इमरान और उसके परिवार वालों को भयभीत करने का काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अफसोसजनक बात है। इस देश के संविधान और एकता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए और उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाए।